**12.10.2022** आरक्षी केन्द्र नाहरगढ़ के आरक्षक क्रमांक ..... पिंटू चंदेल ने उपस्थित होकर थाने के अपराध क्रमांक 386/2022 धारा 294, 323, 506/34 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त 1. विकास पिता ओंकारलाल सूर्यवंशी, उम्र–23 वर्ष, निवासी–अलावदा खेडी थाना शहर कोतवाली मंदसौर, 2. अनिल पिता रमेश भील उम्र–55 वर्ष, निवासी अलावदाखेडी थाना शहर कोतवाली मंदसौर, 3. प्रकाश पिता बगदीराम मीणा उम्र–30 वर्ष, निवासी–बडा गाडरिया, थाना नाहरगढ जिला मंदसौर (म.प्र.) के विरूद्ध धारा 173 द.प्र.सं. के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र का अवलोकन किया गया।

अभियक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323, 506/34 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिये जाने के लिये पर्याप्त आधार विद्यमान है, अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध का संज्ञान द.प्र.सं. की धारा 190(1)(बी) के अंतर्गत लिया जाता है।

अभियोग पत्र के साथ केन्द्रीय पंजीयन हेतु दो प्रति में विवरणी प्रस्तुत की है।

प्रकरण केन्द्रीय पंजीयन में दर्ज करने हेतु केन्द्रीय पंजीयन लिपिक एवं सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज करने हेतु भेजा जावे।

अभियोग पत्र के साथ जप्त संपत्ति.....
.....प्रस्तुत की गई है, उक्त संपत्ति विधिवत मालखाने में जमा करने हेतु मालखाना भेजी जावे तथा संपत्ति क्रमांक प्राप्त होने पर हाशिये में इसका उल्लेख किया जावे।

रिमाण्ड पत्रावली यदि हो तो प्रकरण के साथ संलग्न की जावे।

अभियुक्तगण थाने से जमानत पर स्वतंत्र है।

अभियुक्तगण के विरूद्ध के विरूद्ध अभियोग पत्र जमानतीय अपराध धाराओं मे प्रस्तुत किया गया है, अतः यदि अभियुक्तगण की ओर से 0–10 हजार रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का मुचलका पेश किया जावे तो अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जावे, अन्यथा जेल वारंट बनाया जाकर जिला जेल मंदसौर भेजा जावे।

इसी प्रक्रम पर प्रकरण के फरियादी विक्रमसिंह सहित श्री एम आर मंसूरी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 320(2) द.प्र.सं. का पेश कर निवेदन किया है कि उसका अभियुक्तगण से राजीनामा हो गया है, अतः राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से अभियुक्तगण के विरूद्ध भा.दवि. की धारा 294, 323, 506/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का अभियोग है जो कि शमनीय प्रकृति के है। अतः फरियादी विक्रमसिंह के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा उसे अभियुक्तगण से राजीनामा करने की अनुमति दी जाती है।

उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत आपसी राजीनामा आवेदन पत्र हस्ताक्षरित व फरियादी विक्रमसिंह के छायाचित्र युक्त संयुक्त राजीनामा पेश किया गया। फरियादी विक्रमसिंह से पूछताछ करने पर उसका कहना है कि उसने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी डर–दबाव के स्वेच्छया से किया है तथा फरियादी विक्रमसिंह ने अपनी पहचान के संबंध में स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति पेश की गई जिस संबंध में पहचान अधिवक्ता श्री एम आर मंसूरी द्वारा की गई, अतः राजीनामा लोकहित के विरूद्ध नहीं होने से स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को भा.द वि. धारा 294, 323, 506/34 से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को समक्ष में छोड़ा गया।

प्रकरण में जप्तशुदा निराकरण योग्य सम्पत्ति कुछ नहीं है।

प्रकरण का परिणाम केन्द्रीय आपराधिक पंजी एवं सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाकर नर्धारित समयावधि में अभिलेखागार में भेजा जावे।

**सही/–**

(बलवीर सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सीतामउ जिला मंदसौर(म.प्र.)